मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 24/01/2025

क्र. IPI/5/0073/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स बेस्ट लाईफस्टाईल अपैरल प्रा. लि. द्वारा ग्रामनागझिरी, तहसील एवं जिला उज्जैन में लगभग रूपये 60 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से होज़री गारमेंट्स निर्माण परियोजना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP22416) पर शासनादेश दिनांक 25.01.2021 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुर्नविलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** इकाई को नीति अनुसार रोजगार एवं निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त शासनादेश क्र. एफ 16-53/2020/ए-ग्यारह दिनांक 25/01/2021 के कंडिका क्रमांक 9 ''निवेश प्रोत्साहन सहायता'' हेतु निर्धारित गणना सूत्र हेतु परियोजना अंतर्गत निम्नानुसार वर्षवार लक्षित टर्नओवर निर्धारित किया जाता है-

सहायता हेतु क्लेम वर्ष	**वर्षवार लक्षित टर्नओवर (रू. करोड में)**
प्रथम	20
द्वितीय	100
तृतीय	150
चतुर्थ	190
पंचम	220

2. **सुविधाओं हेतु अन्य घटक-** निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना में नीति अनुसार घटकों के अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र में अग्निशमक संयंत्र, तापमान नियंत्रक प्रणाली (HVAC), विद्युत फिटिंग, कैड/कैम, आईटी, डिजाईन यूनिट, क्रेच, कैंटीन, वर्कर एवं स्टॉफ रेस्ट रूम को मान्य किया जाये।

3. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति-** इकाई को पूर्व शासनादेश दिनांक 25/01/2021 द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति हेतु 5 वर्ष की गणना इकाई द्वारा कर्मचारियों का प्रशिक्षण आरंभ करने की दिनांक से, जो कि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 3 माह पूर्व से अधिक नहीं होगी, की जाये।

4. **हरित औद्योगिकीकरण सहायता-** उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधान अनुसार होगी।

5. **आवंटित भूमि का उपयोग हेतु अनुमति-** परियोजना हेतु आवंटित भूमि पर भविष्य में रेडिमेड गारमेंन्ट के अतिरिक्त टेक्सटाईल उत्पाद यथा: यार्न, फेब्रिक, मेडअप्स, टेक्नीकल टेक्सटाईल एवं अन्य औद्योगिक उत्पाद भी निर्मित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

6. परियोजना के परिप्रेक्ष्य में जारी शासनादेश क्र. एफ 16-53/2020/ए-ग्यारह दिनांक 25/01/2021 के द्वारा स्वीकृत अन्य सुविधाएं तथा शर्तें यथावत रहेंगी।

7. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ पात्रता अनुसार शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

8. स्वीकृत समस्त सुविधाओं का लाभ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगा।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(शाश्वत सिंह मीना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0073/2023/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 24/01/2025

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन ।
4. कलेक्टर, जिला- उज्जैन ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स बेस्ट लाईफस्टाईल अपैरल प्रा. लि., (बेस्ट कार्पोरेशन प्रा. लि. की सब्सिडियरी) 89/2 पदमावतीपुरम, अवंशी रोड, त्रिपुर- 641603।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग